

जिला कलक्टर भीलवाड़ा

27/6/2018

अभियंता के अधिवक्ता उपण बहस में वकील पार्थी ने निवेदन किया कि अपार्थी सं० द्वारा अपार्थी सं० द्वारा जारी पट्टे की आड में हमारी लातेदारी व रास्ते की भूमि पर जबरन कब्जा का निर्माण करने पर आपाया है। रिपोर्ट में उक्त तथ्य स्पष्ट है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फर्माया जावे। वकील अपार्थी सं० व उके द्वारा निवेदन किया कि पंचायत के द्वारा विधिवत पट्टे दिया है उसी पर हमारा कब्जा होकर मोकै पर विधिवत निर्माण किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फर्माया जावे।

हमने बहस के तथ्यों एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्र के 288 दि० 18/6/2018 से प्राप्त रिपोर्ट एवं संलग्न नगरी नक्शा व जमाबन्दी ग्राम भदाली खेड़ा की आ० न० 646 (अ० 0-2403) एवं किस्म गेमु रास्ता है जिसमें से 3 गहा रास्ते की भूमि तथा पार्थी की ग्राम भदाली खेड़ा की आ० न० 641/1, 641/2, 641/3 लातेदारी भूमि में से 2 1/2 गहा भूमि ग्राम पंच० द्वारा जिया द्वारा अपार्थी सं० के नाम जारी पट्टे में सम्मिलित होना पाया जाता है जिससे उपम दृष्टया प्रकरण पार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में अपार्थी सं० को पट्टे की भूमि के उपयोग उपभोग का अधिकार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दि० 6/6/2018 को जारी अन्तर्िम आर्थाई निषेधाज्ञा के क्रम में मूल निर्मात्री के निर्णय तक अपार्थी गण के विरुद्ध आर्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भदाली खेड़ा की आ० न० 641/1, 641/2, 641/3 व आ० न० 646 की मोकै की यथास्थिति कायम रखें। आदेश लिखा जाकर जूले न्यायालय में सुनाया गया। आपावली पेंसल शुमार होकर मन्त्र ले कम हो।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा